

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी - अप्रैल, 1994 सत्र

विधानसभा कार्य सूची

प्रियगामी एवं प्रजापत्रक कार्यालय के अनुसार दिनांक 8 मार्च, 1994 (फाल्गुन 17, 1815) तारीख
प्राजन्मी वार्षीय मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1994 (फाल्गुन 17, 1815)

समय 10.00 बजे दिन
प्रा. विकास हि प्राजन्मी वार्षीय प्राजन्मी वार्षीय कार्यालय के अनुसार तारीख
प्राजन्मी वार्षीय कार्यालय के अनुसार

1. प्रबोधन

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

लेख उपर्युक्त कार्यालय के 10 विधायकों द्वारा विधानसभा कार्यालय (प्राजन्मी) द्वारा दिया गया विधानसभा कार्यालय (प्राजन्मी) का उत्तर दिया गया।

प्राजन्मी वार्षीय कार्यालय के 10 विधायकों द्वारा विधानसभा कार्यालय (प्राजन्मी) का उत्तर दिया गया।

3. नियम 138 (1) के आधीन व्यानाकरण

(1) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बाबूलाल गौर, बच्चवन नाथक, सदस्य, रीवा में पुलिस कर्मियों द्वारा विधायक एवं उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति की और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बाबूलाल गौर, शैलेन्द्र प्रधान, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल के ऐश्वार्य स्टेडियम परिसर में गाइड, मार्शल आर्ट इन्स्टीट्यूट को आवंटित स्थान जबरिया खाली कर सामान की जप्ती करने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

श्री गौरी शंकर बिसेन, डॉ. रमन सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 2 सन् 1994) का अननुमोदन करता है।"

निर्धारित समय

1 घन्टा

श्री मुकेश नाथक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 4 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) का अननुमोदन करता है।"

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा

(1) श्री सुभाष धावव, उपमुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 6 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

ਮਾਲ ਨਾਭੀ ਇੰਡੀਆ

TYPE 4001 - 2 - 1957

(2) श्री प्यारेलाल कंबर, उपमुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

८. प्रतिवेदनों पर अधी

- | | |
|-------------------|---|
| 2 घन्टे | उचित प्रश्न
(1) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1993-94 भाग 1 व 2 पर चर्चा। |
| 30 मि. | (2) मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पर चर्चा। |
| 1 घन्टा
30 मि. | (3) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा। |

ਚੰਗੀ ਵਿਖੇ ਪਾਂਡਿ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਮਣਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖੇ। (੧) ਜੇ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਵਿਖੇ ਪਾਂਡਿ ਤਿਥੇ ਪਾਂਡਿ ਵਿਖੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕ ਸੌਨੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕ ਨਾਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣ

भोपाल

मध्यप्रदेश विधान सभा

ପ୍ରକାଶିତ ଯେ ମହାମିଶ୍ରନାଥ ଏହି ପରିଵାରଙ୍କୁ

ପ୍ରେସ୍ ରୂପାଳୀ ଲୀଜି ଉଦ୍‌ଧିତନାମ ।

समाजिक तथा सार्वजनिक के प्रश्नों

ପ୍ରାଚୀ ରାଜାକୁ ମିଳି ଉପରେଥାଏ ।

ਅਥਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀ ਟਿੱਕ ਭਾਵੀਰ ਲਿੰਗ ਜ਼ਿਸੁਹਾ, ਭਜਾਤ ਆਮ੍ਰਾ ਹੈ (੧) ਭਜਾਤ
ਯਾਦ ਪਾਂਚੀ ਸਾਲੀ ਯਾ (੫੮੧ ਸਿੰਘ ਦ ਕਾਲੀ) ੫੮੧, ਕਪਾਲੀ (ਸ਼ਹਿਰ) ਹਿੰਦ

એ ક્રિકેટ તી પ્રાતિની ઘણાં એ ક્રિકેટની રૂપ નિર્મિત હતી હતી રૂપ આનંદર કાઢ